P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

# साम्प्रदायिकता की समस्या– आजादी काल से

**विकास कुमार मिश्रा**
शोधार्थी,
जी0बी0पी0एस0एस0आई झूंसी,
इलाहाबाद,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद, उ0प्र0, भारत

**सारांश**

साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास के विषय की ओर आजादी की लड़ाई के दौरान ही प्रशासकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अकादमिकों ने रूचि लेनी प्रारम्भ कर दी थी। एक बन रहे राष्ट्र के आगे साम्प्रदायिकता की समस्या एक चुनौती थी। महात्मा गाँधी ने अपने आचरण और लेखन के द्वारा लगातार इसके विरूद्ध आवाज बुलंद की। वे भारत की बहुधार्मिकता को बहुत गहरे तक समझ रहे थे। उन्होंने 1909 में हिन्द स्वराज लिखा था। इसमें उन्होंने मूलतः औपनिवेशिक शासन के आधारों की आलोचना की थी फिर भी गाँधी यह बताना नहीं भूलते कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग धर्म हो सकता है[1]। वास्तव में यह भारतीय उपमहाद्वीप में बहुलवाद की स्वीकार्यता थी और व्यक्ति या समुदाय के रूप में एक दूसरे धर्म को आदर देने का प्रयास था। जैसा कि इसके बाद गाँधी के चार दशक का जीवन दिखाता है वे धार्मिक सहिष्णुता को अविच्छिन्न मानव मूल्य मानते रहे।

**मुख्य शब्द :** धर्म, उपनिवेश, राष्ट्रीयता और सम्प्रदाय।

**प्रस्तावना**

सांम्प्रदायिकता, समकालीन बहुलवादी भारतीय समाज के सामने मौजूद एक बड़ी समस्या है। ये भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को ही चुनौती देती है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने का निश्चय किया था। साम्प्रदायिक चेतना के चलते ही हमारा समाज टूटता है जिसके चलते अलग–अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। साम्प्रदायिक चेतना के चलते, किसी खास स्तर पर यह साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है। जो कि हमारे आंतरिक समाज के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय समाज में सांप्रदायिकता की इस समस्या, इसकी अभिव्यक्ति एवं सांप्रदायिक हिंसा का गम्भीरता पूर्वक एक सशक्त समाधान ढूंढना पड़ेगा अन्यथा हमारे देश के आजादी के आंदोलन के विरासत की वह आधार शिला ही ढह जाएगी, जिस पर संविधान निर्माताओं ने एक उदार, धर्म निरपेक्ष, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी मुल्क बनाने का सपना देखा था। वर्तमान समय में साम्प्रदायिकता की समस्या के चलते ही समाज में अलग–अलग सम्प्रदायों के बीच भय, अविश्वास, पूर्वाग्रह जैसी समस्यायें देखने को मिलती है जो कि हमारी साझी विरासत, धार्मिक सहिष्णुता एवं धर्म निरपेक्षता के लिए भी एक खतरा है।

**साहित्यावलोकन**

साम्प्रदायिक दंगों पर पहला गम्भीर प्रयास दंगों की पृष्ठभूमि में ही किया गया। भगत सिंह की शहादत के ठीक बाद 1931 में कानपुर में भीषण दंगे हुए। इसने उस समय के चिन्तनशील भारतीयों को बहुत ही उद्वेलित किया। इसकी जाँच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति ने भगवान दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट [2] में व्यवस्थित रूप से साम्प्रदायिक दंगों की उत्पत्ति और प्रसार पर प्रकाश डाला। सम्भवतः यह पहली बार देश की जनता के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि *साम्प्रदायिकता एक औपनिवेशिक निर्मिति है* [3]। यह रिपोर्ट साम्प्रदायिकता की समस्या को देश–काल में स्थापित करने में सफल रही।

इसने उपचारात्मक कदमों पर भी जोर दिया जैसे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय पहलू। अपने समय तक के इतिहास के लिए यह एक जोरदार काम था जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। 1946 में आयी जवाहर लाल नेहरू ने *डिस्कवरी ऑव इण्डिया* [4] में भारत के इतिहास को अपने तरीके से देखने के साथ साथ उन प्रारूपों को रेखांकित करने का प्रयास किया था जो भारत को एक उम्दा राष्ट्र बनाते थे। उसमें उन्होंने भारत की कमजोरियों को भी रेखांकित किया। नेहरू ने साम्प्रदायिकता की समस्या को मुस्लिम समाज में शिक्षा के पिछड़े स्तर से जोड़कर देखा और माना कि उसमें

मध्य वर्ग का विकास बहुत देर में हुआ। लेकिन यदि नेहरू का कहना माना जाय तो हमें यह मानना होगा कि मध्य वर्ग का यदि उत्थान हो गया होता तो साम्प्रदायिकता का उभार नहीं होता लेकिन जैसा भारत का पिछले दो तीन दशकों का अनुभव है कि इसके प्रसार में मध्यवर्ग कहीं ज्यादा सक्रिय रहा है। फिर भी इसका श्रेय हमें नेहरू को देना होगा कि एक संवैधानिक और राष्ट्रीय मूल्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया।

जब देश आजाद ही हुआ या इसे यों कहें कि देश का विभाजन ही हुआ था कि गाँधी की हत्या ने इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए देश की संविधान सभा को प्रेरित किया। भारत के संविधान में इसके लिए व्यापक और सुपरिभाषित प्रावधान किए गये हैं। ये प्रावधान राज्य के ऊपर उसकी अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को कार्यरूप में सम्भव बनाने का प्रयास करते हैं[5]। इसी प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने पर जोर दिया गया। यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है भारत का संविधान कोई अकादमिक दस्तावेज नहीं है और हमें इससे ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह देश के कर्णधारों और नागरिकों के समक्ष एक कार्यसूची रखता है। भारत का संविधान यह बताता है या विभिन्न न्यायालय यह बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसके विश्लेषण से साम्प्रदायिक अभिवृत्तियों की पहचान करने में शोधकर्ता को सहायता और अन्तर्दृष्टि मिल सकती है।

विपिन चन्द्र ने *'आजादी के बाद का भारत* का जो अध्ययन किया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि अपने आरंभिक दिनों में *भारत का राष्ट्रीय आंदोलन* धर्म निरपेक्षता के प्रति समर्पित था। जवाहर लाल नेहरू ने साम्प्रदायिकता को फासीवाद का भारतीय अवतार माना था। यह भी रोचक है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कभी धर्म ने नाम पर लोगों से अपील नहीं की, न ही ब्रिटिश शासन का यह कहकर विरोध किया कि वे ईसाई है। ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी आलोचना आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित थी। विपिन चन्द्र का मानना है कि साम्प्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक पार्टियाँ और संगठन, आज के राजनीतिक वातावरण के नये अंग बन गए है। चुनावी लामबंदी के लिए बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक अपीलों का उपयोग किया जा रहा है। साम्प्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो इस विश्वास पर आधारित है कि भारतीय समाज ऐसे धार्मिक समुदायों में बटा है जिसके आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हित अलग–अलग और यहाँ तक कि अपने धार्मिक अंतरो के कारण एक दूसरे के शत्रु है। साम्प्रदायिकता शक्तियों में सत्ता हासिल करने के बाद इसका दुरूपयोग भी काफी हद तक किया है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि विपिन चन्द्र आजादी के बाद के भारत की उपलब्धियों और चुनौतियों के सन्दर्भ में उपर्युक्त बातें कर रहे हैं। यह कोई विशेषीकृत अध्ययन नहीं है। फिर भी विपिन चन्द्र ने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन की कमजोरियों को इंगित करने वाले महत्वपूर्ण विद्वान हैं और उनके विश्लेषण समस्या को समझने में हमारी मदद करते हैं।

असगर अली इंजीनियर ने Causes of Communal Riot in the post paritition Period in India) में लिखा है साम्प्रदायिक हिंसा में प्रोत्साहन के अन्य तत्वों की तुलना में धर्म अपने अनुयायिओं की रवैया को निर्धारित करने में एक एजेण्ट की तरह ज्यादा काम करता है। यहाँ असगर अली इंजीनियर ने बताया है कि धर्म एक एजेण्ट के तौर पर कार्य करता है उसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी साम्प्रदायिकता की चेतना फैलाने में कार्य करते हैं लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों में प्रोत्साहन के तत्व कहाँ–कहाँ से मिलते हैं तथा उसके तरीके कौन–कौन से हैं। असगर अली इंजीनियर ने अपनी पुस्तक *'भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास और अनुभव'* में यह बताया है कि साम्प्रदायिकता आधुनिक परिघटना है, मध्यकालीन नहीं। यह अंग्रेजी काल की उत्पत्ति है। मुसलमानों में तनाव पैदा किया, जो इस स्तर पर पहले कभी नहीं था। असल में अंग्रेज सन् 1857 के विद्रोह (स्वतंत्रता संग्राम) के दौरान हिन्दू–मुस्लिम एकता से भयाक्रांत थे, जब हिन्दुओं–मुसलमानों ने बहादुरशाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। अंग्रेजों ने इतिहास लेखन के माध्यम से यह स्थापित करने का यह सफल प्रयास किया था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच शाश्वत लड़ाई है। अंग्रेजों द्वारा इतिहास का 'हिन्दू', 'मुस्लिम' और 'अंग्रेजी' के रूप में काल विभाजन धूर्ततापूर्ण था। ऐसे काल विभाजन में पहले के युगों की पहचान धर्मों से की गई जबकि अपने काल को उन्होंने राष्ट्रीयता से पहचाना। साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति का कारण राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में संरचनागत बदलाव भी है। औपनिवेशिक राजनीति और अर्थव्यवस्था ने सामन्ती राजनीति और अर्थव्यवस्था की जगह ली। औपनिवेशिक राजनीति और अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक थी। आंशिक रूप से इस प्रतिस्पर्धापरक राजनीति और अर्थव्यवस्था ने साम्प्रदायिक परिघटना को जन्म दिया।

अंग्रेजों ने अत्यधिक नियंत्रित तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की जिसने दो प्रमुख सम्प्रदायों हिन्दू और मुसलमान के अभिजात वर्गों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न की। इस प्रणाली को लागू करने से हिन्दुओं और मुसलमानों में द्वंद पैदा हुआ। मुस्लिम अभिजात वर्ग ने कुछ निश्चित हिस्से की मांग की जिसका हिन्दू अभिजात वर्ग ने विरोध किया और यह सवाल देश के विभाजन तक सुलझाया नहीं जा सका। इस तरह दोनों सम्प्रदायों के अभिजात वर्गों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया।असगर अली इंजीनियर ने यह बताया है कि कुछ लोग निहित स्वार्थों और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिकता के उद्भव को भारतीय इतिहास के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। यह लड़ाइयाँ तब तक चलती रही जब तक कि अंग्रेजी शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित नहीं

कर लिया। लेकिन वास्तव में एक भ्रामक धारण है। इसे इतिहास का राजनीतिक दुरूपयोग कहा जा सकता है।

असगर अली इंजीनियर बताते है कि हिन्दू सम्प्रदायवादी आज भी भारत में रह रहे मुसलमानों की वफादारी पर उंगली उठाते है और उन पर पाकिस्तान के प्रति वफादार होने का आरोप लगाते हैं बहुसंख्यक समुदाय के अन्दर सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने के लिए ''मुसलमान जाए पाकिस्तान या कब्रिस्तान'' का नारा आज भी बहुत से धार्मिक राजनीतिक जुलुसों में लगता है। इससे यह पता चलता है कि किस तरह नारों एवं मुहावरों के माध्यम से भी सांम्प्रदायिक चेतना के प्रसार का कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक जुलूसों, जो त्यौहारों आदि पर ज्यादा किया जाता है।

आधुनिक उत्पत्ति है तथा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना कर हिन्दु मुस्लिम समुदाय के मध्य असगर अली इंजीनियर यह बताते हैं कि साम्प्रदायिकता की परिघटना मध्यकाल की उत्पत्ति न होकर तनाव पैदा कर उनकी एकता को छिन्न–भिन्न करने के लिए किया तथा अपने आर्थिक हितों के लिए हिन्दू–मुस्लिम अभिजात वर्गों के बीच तनाव पैदा किया। इतिहास लेखन की प्रक्रिया के माध्यम से भी साम्प्रदायिकता के निर्माण को बल मिला। साम्प्रदायिक हिन्दू इतिहासकार भी मध्यकाल से युग को हिन्दू दासता का युग बताकर साम्प्रदायिक भावना को पैदा करने का कार्य करते हैं। पाकिस्तान विभाजन सवाल पर अभी तक मुस्लिमों को शक की नजर से देखा जाता है तथा धर्मिक जुलूसों में मुस्लिम विरोधी नारों एवं मुहावरों के माध्यम से साम्प्रदायिक चेतना फैलाने का कार्य किया जाता है।

इस अध्ययन से यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि इतिहास की भ्रामक धारण में आम जनसमूह के बीच चेतना के स्तर पर किस तरह से कार्य करती है तथा किन समूहों द्वारा यह किन–किन तरीकों से फैलाया जाता है। धर्म एक प्रमुख मुद्दा कैसे बन जाता है इसके अतिरिक्त अन्य तत्व कौन–कौन से हैं। साथ ही दैनिक जीवन में यह धारणाएं एवं तत्व किस तरह से साम्प्रदायिकता का रूप ले लेती है।

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ने *कंस्ट्रक्शन ऑव कम्यूनिलिज्म इन कालोनियल नार्थ इण्डियां* साम्प्रदायिकता को एक औपनिवेशिक निर्मिति के रूप में देखते हुए भोजपुरी भाषा भाषी उत्तर भारत में साम्प्रदायिकता का अध्ययन किया है। इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि औपनिवेशिक शासकों ने अपने लेखकों के माध्य से साम्प्रदायिकता को एक समान्तर प्रक्रिया के रूप इसकी व्याख्या की तथा इसका इस्तेमाल किया। साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक चरित्र जो हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है वह पूर्व में स्थापित ऐतिहासिक चरित्र ही है, जो कि ब्रिटिश शासकों ने अपने लेखकों आदि के माध्यम से निर्मित किया है। इस प्रकार ज्ञान पाण्डेय उत्तर भारत में साम्प्रदायिकता के प्रमेय को हमारे समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ज्ञान पाण्डेय ने साम्प्रदायिकता को उपनिवेशवाद तथा संकुचित राष्ट्रवादी विचारधारा दोनो को ही उसका उत्तरदायी बताया है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी चिंतकों ने कहा कि साम्प्रदायिकता हमारी देन नहीं है। यह भारत में पहले से ही मौजूद थी हमने इसे खत्म करने का प्रयास किया है। ज्ञान पाण्डेय ने कहा है कि 1930 एवं 1940 के दशकों में राष्ट्रवादी धारणा के प्रभाव के चलते राजनीतिक परिदृश्य ;त्मंसउद्ध से साम्प्रदायिकता की समस्या को अलग कर दिया था क्योंकि वे भ्रम की स्थिति में थे कि साम्प्रदायिकता को सामाजिक या राजनीतिक समस्या के रूप में देखा जाय।

ज्ञान पाण्डेय ने राष्ट्रवादी अवधारणा को स्टेटिस्ट शावनिज्म कहा है जो कि सांस्कृतिक आंदोलन, सेक्टेरियन, सेक्शनल आंदोलन को एड्रेस (Address) नहीं कर पाया है। इससे यह समझ में आता है कि संकुचित राष्ट्रवादी धारणा लोगों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा करने का एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिकता की समस्या को कैसे एड्रेस ;।ककतमेद्ध किया जाय यह नहीं बता पा रहे हैं। साम्प्रदायिकता के प्रसार में जो नवीन प्रश्न हमारे समक्ष अनुत्तरित हैं, उन पर यह अध्ययन बात नहीं करता जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साम्प्रदायिकता का प्रसार कैसे होता है। इस बात को भी जानने की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी है कि किसी दिए गए स्थान और कालखण्ड विशेष में यह किस प्रकार अपने को समायोजित करती है। ज्ञान पाण्डेय यह बताने में विफल रहते हैं कि साम्प्रदायिकता को स्थानीय तत्व, शत्रुताभाव, व्यापारिक होड़ और साम्पत्तिक विवाद जैसे कारक कैसे प्रभावित करते हैं।

सांम्प्रदायिकता, समकालीन बहुलवादी भारतीय समाज के सामने मौजूद एक बड़ी समस्या है। ये भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को को ही चुनौती देती है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने का निश्चय किया था। साम्प्रदायिक चेतना के चलते ही हमारा समाज टूटता है जिसके चलते अलग–अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। साम्प्रदायिक चेतना के चलते, किसी खास स्तर पर यह साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है। जो कि हमारे आंतरिक समाज के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय समाज में सांप्रदायिकता की इस समस्या, इसकी अभिव्यक्ति एवं सांप्रदायिक हिंसा का गम्भीरता पूर्वक एक सशक्त समाधान ढूंढना पड़ेगा अन्यथा हमारे देश के आजादी के आंदोलन के विरासत की वह आधार शिला ही ढह जाएगी, जिस पर संविधान निर्माताओं ने एक उदार, धर्म निरपेक्ष, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी मुल्क बनाने का सपना देखा था। वर्तमान समय में साम्प्रदायिकता की समस्या के चलते ही समाज में अलग–अलग सम्प्रदायों के बीच भय, अविश्वास, पूर्वाग्रह जैसी समस्यायें देखने को मिलती है जो कि हमारी साझी विरासत, धार्मिक सहिष्णुता एवं धर्म निरपेक्षता के लिए भी एक खतरा है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

आरम्भिक अवस्था में सांप्रदायिक चेतना इस तरह कार्य करती है कि वह किसी खास घटना के स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है। साम्प्रदायिक हिंसा आमतौर पर उस समय उभरती है जब पहले से चली आ रही साम्प्रदायिक चिन्तन की तीव्रता एक खास स्तर तक पहुँच जाती है और साम्प्रदायिक भय, सन्देह

और नफरत में वृद्धि के कारण वातावरण दूषित हो जाता है।

1. यह अध्ययन करना आर्थिक हितों की टकराहट की वजह से साम्प्रदायिक तनाव क्यों और कैसे फैलता है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में साम्प्रदायिक चेतना के प्रसार का अध्ययन करना।

**शोध परिकल्पना**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक क्रियाकलापों का स्वरूप बदलकर साम्प्रदायिकता चेतना का प्रसार किया जाता है।
2. धर्म के अलावा कुछ स्थानीय एवं वाह्य एजेंट भी होते हैं जो कि साम्प्रदायिक चेतना फैलाने का कार्य करते हैं।

**शोध प्रश्न**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म का अर्थ, स्वरूप क्या है ?
2. विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समभाव या वैरभाव के लिए उत्तरदायी समूह कौन हैं और वे किस तरह से ऐसी भावनाएँ फैलाते हैं?

**शोध प्रविधि**

प्रस्तुत अध्ययन में चुने गये शहर, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में प्रस्तुत शीर्षक से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी दस्तावेजों, सरकारी अध्ययनों, सरकारी सर्वेक्षणों से प्राप्त आकड़ों, शोधप्रबन्धों का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाएगा। शोधार्थी फैजाबाद जिले के अन्दर तीन ऐसे गाँवों का चुनाव करेगा जिसमें–

1. ऐसा गाँव जहाँ पर दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्वक रह रहे है। आपसी मेल जोल की स्थिति ठीक है। साम्प्रदायिक तनाव जैसी स्थिति नहीं है।
2. ऐसा गाँव जहाँ पर संक्रमण कालीन स्थिति है साम्प्रदायिक चेतना फैलाने वाले संगठन सक्रिय है लेकिन साम्प्रदायिक हिंसा जैसी घटना नहीं हुई है।

**निष्कर्ष**

साम्प्रदायिक चेतना एक बड़े स्तर पर तथा आरम्भिक एवं बुनियादी स्तर भी काम करता है जबकि साम्प्रदायिक हिंसा मात्र बाहरी लक्षण है। साम्प्रदायिक हिंसा की प्रस्तावना और पूर्वामास (पूर्वाग्रह) के रूप में साम्प्रदायिक चेतना के फैलाने के कार्य को तथा उसकी विचारधारा को आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, साम्प्रदायिकता का बोध ज्यादातर सिर्फ उसी समय दर्ज किया जाता है जब हिंसा भड़क उठती है। इसलिए साम्प्रदायिक लोग भी मुख्य रूप से साम्प्रदायिक चेतना के प्रसार के कार्य में दिलचस्पी रखते हैं और अनिवार्यतः साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने में नहीं। दरअसल जो लोग साम्प्रदायिक हिंसा की प्रेरणा देते है और उसे संगठित करते है उनका मुख्य उद्देश्य व्यापक नरसंहार करना नहीं बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करना जो आम जनता का सम्प्रदायीकरण कर दे तथा साम्प्रदायिकता की भावना उनके अंदर चेतना के स्तर पर कार्य करने लगे।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

*आस्टिन,ग्रेनविल, द इण्डियन कांस्टीट्यूशनः कार्नरस्टोन ऑव अ नेशन, 1966, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे।*

*एंथोनी जे परेल , संपा. गाँधीः हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स, 2009, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेसः नयी दिल्ली।*

*बसु, आचार्य डा0 दुर्गा दास, भारत का संविधान–एक परिचय, आठवां संस्करण, 2002 प्रकाशक बाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।*

*चन्द्र, विपिन, आजादी के बाद का भारत, 2009, हिन्दी माध्यम का कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।*

*चन्द्र विपिन, साम्प्रदायिकताः एक परिचय, 2004 अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0 लि0) नई दिल्ली।*

*नेहरू, जवाहरलाल ,डिस्कवरी ऑव इण्डिया, 1986, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली,*

*माहेश्वरी अरूण, (1993) आर.एस.एस. और उसकी विचारधारा, नेशनल बुक सेन्टर नई दिल्ली।*

*पणिक्कर के.एन., (2009) आज का सम्प्रदायवाद हस्तक्षेप की सार्थकता, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली।*

*Ahamd Aijaz, on Communalism & Globlization offensives of the For Right(three essays collective)s.*

*Bhagwan manu, EPW 13 Sep 2008, Indian National Congress in late colonial and early post colonial India*

*Bayly, C.A. (1985) : "The Pre-Histroy of 'Communalism'? Religious Conflict in India, 1700-1860" Modern Asian Studies.*

*(2003) : The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India (Seattle : University of Washington Press).*

*Bhargava, Rajeev (1998) : Secularism and Its Critics (New Delhi : Oxford University Press).*

*Brass, P (1997) : Theft of an Idol: Text and context in the Representation of Collective Violence (Princeton : Princeton University Press).*

*(2004) : "Development of an Institutionalised Riot System in Meerut City, 1961-1982", Economic & Political Weekly.*

*Chakravarti, Uma and nandita Haksar, (1987) : The Delhi Riots: Three Days in the Life of Nation (Delhi : Lancer International).*

*Dixit, Prabha (1969) : "Secularism and Communalism : A comment", Economic & Political Weekly.*

*Sahay, Anand K. The Republic Besmirched 6 December 1992, Safdar Hashmi Memorial trust, New Delhi.*

*Saxena, N.C. Communal Riots in Post Independence India (1984) Engineer, Asghar Ali, ed. (1984a) : Communal Riots in Post-Independent India (Delhi : Sangam Publications).*

**पाद टिप्पणी**

1. *एंथोनी जे परेल , संपा. गाँधीः हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेसः नयी दिल्ली, 2009 पुनर्मुद्रित, पृ 52*
2. *साम्प्रदायिक समस्याः कानपुर दंगा जाँच समिति की रिपोर्ट, अनुवाद– दिवाकर, नेशनल बुक ट्रस्टः नयी दिल्ली, 2008*
3. *वही, विपिन चन्द्र की प्रस्तावना।*
4. *जवाहर लाल नेहरू, डिस्कवरी ऑव इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1986*
5. *ग्रेनविल आस्टिन, द इण्डियन कांस्टीट्यूशनः कार्नरस्टोन ऑव अ नेशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1966*
6. *ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ओमनीबस, 2008, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली में संग्रहीत।*